

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0),टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद सं0 639/16

सीएनआर नं0 यूपीएन12000

शशिकला दूबे— बनाम— आशा पाण्डेय आदि

दिनांक

18.01.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 42क1 हेतु पेश है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 42क1:-

प्रार्थना पत्र 42क1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं02 का देहान्त दिनांक 23.01.2018 को हो गया है। जिनके जायज एवं विधिक वारिसान मृतक की पत्नी आशा पाण्डेय व लड़के विपिन कुमार व दिलीप कुमार है जिनका मृतक की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर कब्जा व दखल है मृतक के स्थान पर वारिसों को कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के प्रकाश में प्रतिवादी सं02 के नाम के आगे मृतक लिखने तथा परिणामिक संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं02 की मृत्यु हो चुकी है, मृतक/प्रतिवादी सं02 के जायज एवं विधिक वारिसान मृतक की पत्नी आशा पाण्डेय व लड़के विपिन कुमार व दिलीप कुमार है, जिनका मृतक की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा व दखल है। प्रस्तुत संशोधन से उपरोक्त प्रकरण के प्रभावी न्याय निर्णयन में सुगमता होगी। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 42क1 प्रतिवादी की आपत्ति के सापेक्ष हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 42क1 मु0 200/-रु0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। वादी प्रतिवादी सं02 के वारिसान पर सम्मन की पैरवी करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 06.03.2021 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।

जे0ओ0कोड नं0 यूपी2353